अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

(16)

आर0ई0आर0 केश नं0–107/16–17

सुफल सोरेन बनाम् मो0 सुशीला देवी

–:आदेश:–

6-6-18

वर्त्तमान वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदक लालमोहन मरांडी एवं अन्य के द्वारा उक्त वाद दायर किया गया, जिसमें मौजा–खदहरामाल सं0–720 जमाबंदी सं0–34, दाग सं0–491 एवं 492 कुल रकवा–00–09–10 धूर भूमि को सुशीला देवी एवं अन्य के अवैध दखल से मुक्त करने हेतु संथाल परगाना काश्तकारी अधिनियम के धारा 20 तथा 42 के तहत् आवेदन दायर किया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सूना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया। प्रतीत होता है कि विवदित भूमि को लेकर उभय पक्षों के पूर्वजों के द्वारा आर0ई0आर0 वाद सं0–47/1975–76 देवी हाँसदा बनाम् रामलखन भगत चला था, जिसमें 15.06.1979 को विपक्षी को उच्छेद का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी, के न्यायालय से पारित हुआ, जिसके विरूद्ध विपक्षी के द्वारा आर0एम0 वाद सं0–610/79–80 में विद्वान उपायुक्त के न्यायालय में एक वाद दायर किया गया, जिसमें दिनांक–04.04.1983 को आदेश पारित करते हुए कतिपय निदेश दिये गये। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा आर0ई0आर0 केश नं0–47/1975–76 की पुनः सुनवाई कर Review आदेश दिनांक–30.08.1990 को दिया गया। संथाल परगाना काश्तकारी पुरक अधिनियम के धारा 60 के अनुसार (1) कमिश्नर, पर्याप्त कारणों से जिन्हे वे लिखित रूप में अभिलेख करेगें, किसी आदेश का जिसे उन्होने स्वंय अथवा उनके पूर्वाधिकारी ने इस ऐक्ट द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में दिया हो, पुनरीक्षण कर सकते है। (2) कमिश्नर के अधीनस्त कोई अफसर, किसी आदेश का जिसे उनके स्वंय दिया हो अथवा उसके पूर्वाधिकारी ने दिया हो पुनरीक्षण नहीं करेगा .....।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में स्पष्ट है कि पूर्व में अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम के तहत् प्राप्त नहीं है। अतः वाद को खारिज किया जाता है।

Seen 8/6/18

लेखापित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।